संख्या 2317 / xxx(2) / 2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।
3—समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादूनः दिनांकः 16 अगस्त, 2005

विषयः— दहेज संबंधी मृत्यु के मामलों में अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों का निलम्बन ।

महोदय,

मुझे आपके ध्यान में उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम—4 (2) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबंधित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण लम्बित हों तो उस सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही समाप्त होने तक स्वविवेक से निलम्बित किया जा सकता है । उपरोक्त नियमावली के नियम—4 (3) (क) एवं नियम—4(4) में प्रावधान हैं कि यदि सरकारी सेवक को 48 घंटे या अधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो अथवा कारावास का दण्ड दिया गया हो तो वह सरकारी सेवक निरूद्ध अथवा दोष सिद्ध की तिथि से निलम्बित समझा जायेगा ।

2. दहेज संबंधी मृत्यु कारित करने के मामलों में कभी—कभी सरकारी सेवकों के भी अन्तर्ग्रस्त होने के प्रकरण सामने आते हैं । ऐसे सरकारी सेवकों को निलम्बित करने का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक से उपरोक्त नियम के तहत लिया जा सकता है । उपरोक्त मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बन के लिए कतिपय निर्देशों का उल्लेख किया जा रहा है:—

(1) यदि किसी सरकारी अधिकारी / कर्मचारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304—ख के अधीन दहेज संबंधी मृत्यु के मामलों में दर्ज किये जाने के संबंध में अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर देना उचित होगा ।

(2) यदि किसी सरकारी सेवक को अभिरक्षा में निरुद्ध न किया गया हो परन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल निलम्बित कर देना उचित होगा, जबकि रिपोर्ट से यह प्रथम–दृष्टया निर्दिष्ट हो जाय कि सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अपराध में शामिल था ।

अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशो को अपने समस्त अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों की जानकारी में ला दें ताकि उपरोक्त निर्देशों का भलीभांति अनुसरण सुनिश्चित किया जा सके ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या:2317(1)/ XXX(2)/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त अपर सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त सचिवालय के अनुभाग ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव ।